


फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति, ~~लेख~~.....नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत द्वारा पथ विक्रेता से संबन्धित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्र. सं.	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजीकरण	1. परिवार का फोटो 2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 4. मोबाइल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निशुल्क	7 दिन	सामुदायिक संगठक / नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
2.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM वेबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी



क्रम. सं.	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में दिरंग या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
3.	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM वेबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	जाना है। सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छ. महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
4.	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय विवरण पर पहचान/प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	1. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु- 500/रु.	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

क्रम. सं.	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
5.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज़ के आधार पर	50/रु.	7 दिन	नगर मिशन प्रबन्धक	नगरआयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

अध्यक्ष,

नगर विक्रय समिति,

होशियार...नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत ।

अभव.

